कार्यालय प्रबन्ध अनुभाग, जनपद न्यायालय, कन्नौज।

विज्ञप्ति संख्याः 02

दिनांकः– 14-7-16

कार्यालय विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रत्र संख्या 9882/एडमिन (बी–1) सेक्शन दिनांक 05.07.2016 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु न्यायालय परिसर में ठेके उठाये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। ठेको का विवरण निम्नप्रकार से हैः–

01. ठेका खान–पान कैन्टीन।
02. ठेका साइकिल स्टेण्ड।
03. ठेका फोटो ग्राफी।
04. ठेका फोटो स्टेट मशीन।

उपरोक्त ठेको के लिए बन्द लिफाफों में टेण्डर आमंत्रित किये जाते है। प्रारूप टेण्डर नजारत अनुभाग से दिनांक 14.07.2016 से दिनांक 21.07.2016 तक प्राप्त किये जा सकते है। सभी टेण्डर दिनांक 26.07.2016 तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कन्नौज में समय 12.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिनांक को टेण्डर कर्ताओं की उपस्थिति में सायं 04.00 बजे नीलामी समिति के समक्ष खोले जायेंगे।

प्राप्त टेण्डरों मे सबसे अधिक धनराशि वाले टेण्डर को स्वीकृत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए स्वीकृत टेण्डर को माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात उसी के पक्ष में खान–पान, साइकिल स्टैण्ड, फोटोकापी व फोटोग्राफी का ठेका कर दिया जायेगा। अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत टेण्डर की धनराशि का 25 प्रतिशत उसी दिन नजारत अनुभाग में जमा करना होगा।

शर्तेः–

01. उपरोक्त सभी ठेकों को चलाये जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करनी होगी। जिसका ठेके में कोई लाभ नही मिलेगा।
02. माननीय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज को किसी समय किसी भी टेण्डर को बिना किसी कारण, बिना नोटिस दिये निरस्त किये जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।
03. किसी भी आवाँछनीय व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नही है, प्रत्येक टेण्डर दाखिल करते समय अपने चरित्र से सम्बन्धित दो संभ्रान्त व्यक्तियों के चरित्र प्रमाण–पत्र तथा स्वयं का एक नोटरी शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत करना है कि वह किसी फौजदारी मुकदमें में न तो वांछित है, और न ही सजायाफ्ता है।

14.7.2016

(सूर्य प्रकाश शर्मा)
अध्यक्ष, ठेका समिति/
अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कक्ष संख्या–01, कन्नौज।

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नानुसार प्रेषित की जायेगीः–

01. माननीय उच्च न्यायालय, की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
02. जनपद न्यायालय, कन्नौज की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

03. जिला सूचनाधिकारी, कन्नौज को प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसका विज्ञापन किसी स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क कराकर एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

04. केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।

05. नगर पालिका परिषद, कन्नौज के सूचना पट पर चस्पा करें।

06. रोडवेज बस स्टेण्ड के सूचना पट पर चस्पा करें।

07. रेलवे स्टेशन के सूचना पट पर चस्पा करें।

08. तहसील के सूचना पट पर चस्पा करें।

09. कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर चस्पा करें।

14.7.2016

(सूर्य प्रकाश शर्मा)
अध्यक्ष, ठेका समिति/
अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
कक्ष संख्या–01, कन्नौज।